

Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)

[FORM 1

(See rule 3)

NOTICE OF ELECTION

Notice is hereby given that :-

(1) an election is to be held of a member to the ~~House of the People/~~ **Bihar Legislative Assembly/** ~~Legislative Council~~ in the **110-Barharia** Constituency;

OR

(1) an election is to be held of a member(s) to the Council of States/
Legislative Council/ by the elected members of the
..... Legislative Assembly;

(2) ~~nomination papers may be delivered by a candidate or by any of his proposers to the~~
Returning Officer or to **Ashok Kumar, BDO, Barharia-Cum-Assistant Returning Officer,** at **District Land Acquisition Officer, Siwan chamber at Collectorate, Siwan** between **11 A.M and 3 P.M.** on any day (other than public holiday) not later than the **16.10.2020**;

(3) forms of nomination paper may be obtained at the place and time aforesaid;


(4) the nomination papers will be taken up for scrutiny at **Meeting hall in Collectorate building, Siwan** on **17.10.2020** at **11 A.M**;

(5) notice of withdrawal of candidature may be delivered either by a candidate or by any of his proposers or by his election agent who has been authorised in writing by the candidate to deliver it to either of the officers specified in paragraph(2) above at his office before **3 P.M.** on the **19.10.2020**;

(6) in the event of the election being contested, the poll will be taken on **03.11.2020** between the hours of **07 A.M.** and **06 P.M.**

Place: **Siwan**

Date: **09.10.2020**


Returning Officer

110 - Barharia Legislative Assembly]

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

[प्ररूप 1

(नियम 3 देखिये)

निर्वाचन की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि :-

(1) 110-बड़हरिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में ~~लोक-सभा~~ / बिहार विधान सभा /
/ विधान परिषद् के सदस्य का निर्वाचन होना है,

अथवा

(1) विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्य सभा / विधान परिषद्के
सदस्य (सदस्यों) का निर्वाचन होना है।

(2) नामनिर्देशन-पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को या अशोक कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़हरिया-सह-
सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को अभ्यर्थी या (उसके किसी प्रस्थापक द्वारा) दिनांक-16.10.2020 से
अपश्चात् (लोक अवकाश दिन से भिन्न) किसी दिन 11:00 बजे पूर्वाह्न और 03:00 बजे अपराह्न के बीच
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान के समाहरणालय, सिवान स्थित कार्यालय कक्ष में परिदत्त किए जा
सकेंगे,

(3) नामनिर्देशन-पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समय पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे,


(4) नामनिर्देशन-पत्र संवीक्षा के लिए समाहरणालय भवन, सिवान के सभागार में दिनांक 17.10.2020 को
पूर्वाह्न 11:00 बजे लिए जाएंगे,

(5) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना या तो अभ्यर्थी द्वारा या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा या उसके निर्वाचन
अभिकर्ता द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया हो ऊपर
पैरा(2) में विनिर्दिष्ट ऑफिसरों में से किसी को उसके कार्यालय में दिनांक 19.10.2020 को 03:00 बजे
अपराह्न के पूर्व परिदत्त की जा सकेगी,

(6) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में दिनांक 03.11.2020 को 07:00 बजे प्रातः और संध्या 06:00 बजे के बीच
मतदान होगा।

स्थान- सिवान।

तारीख- 09.10.2020



रिटर्निंग ऑफिसर

110-बड़हरिया विधान सभा]